आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
21/03/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 29/2011** **दुर्गाचरण मुण्डा बनाम् शिवचरण महतो** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील संख्या–61-R15/1999-2000 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत् वाद में आवेदक की तरफ से दिनांक–07.01.2020 को अंतिम हाजिरी दी गयी। विपक्षी न्यायालय में मात्र दिनांक–16.05.2017 को उपस्थित हुये थे। आवेदकों को उनका पक्ष रखने हेतु दिनांक–28.12.2021, 10.01.2022, 17.02.2022 तथा 10.03.2022 को लगातार मौका दिया गया किन्तु कोई भी पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अतः उपलब्ध कागजातों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत् मामले में मौजा–डेरो, अंचल–तमाड़, खाता संख्या–72, खेसरा संख्या–308, रकबा–0.18 एकड़ भूमि के वापसी हेतु दावा किया गया था। अनुमण्डल पदाधिकारी, खूंटी एवं उपायुक्त, राँची के न्यायालय द्वारा विषय की विस्तृत विवेचना की गयी तथा यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया कि प्रश्नगत् भूमि का अंतरण वर्ष–1936–1939 में किया गया है। उक्त समय आदिवासी भूमि के हस्तांतरण हेतु किसी प्रकार के अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। प्रश्नगत् मामले में भूमि वापसी का दावा वर्ष–1990 में प्रथम बार किया गया, जो स्पष्टतः कालबाधित है। निम्न न्यायालयों में आवेदक यह साबित करने में असफल रहे कि प्रश्नगत् भूमि का हस्तांतरण छल–प्रपंच एवं नाजायज तरीके से किया गया है। इस न्यायालय में भी आवेदकों के द्वारा पुनः उन्हीं बिन्दुओं को दोहराया है, जो निम्न न्यायालय में उनके द्वारा उल्लेखित थे। आवेदकों को इस वाद के संचालन में कोई अभिरूचि भी नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित 21/3/22 प्रमण्डलीय आयुक्त 21/3/22 प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.08 15:47:24 +05:30
Location: 192.168.1.40